कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-10-06-2024

विषय--ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्तगणों को दहेज हत्या में मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के करावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0-142/2009 धारा-498-ए, 304-बी, व 3/ 4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण संजीव कुमार पुत्र मुन्ना लाल, मुन्ना लाल पुत्र नन्हकू, कुसुम देवी पत्नी मुन्ना लाल व सोनू पुत्र मुन्ना लाल निवासीगण कौशलेश नगर थाना लंका जनपद वाराणसी को थाना लंका व मानिटरिंग सेल की प्रभावि पैरवी के फलस्वरूप दिनांक -10-06-2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए धारा 304 बी भादवि के अपराध में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 498-ए भादवि के अपराध में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा व धारा 3 डीपी एक्ट में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 20,000/- रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास व 4 डीपी एक्ट में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सभी सजाये साथ-साथ चलेगी। दोष सिद्ध अभियुक्तगणों द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-वाराणसी